

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १२२ / 2020

दिनांक ०१.04.2020

श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 07.04.2020 से 09.04.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 05.04.2020 से 06.04.2020 एवं 10.04.2020 से 12.04.2020 व 14.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 13.04.2020 के ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अग्रवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
31.3.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/28/2000/ 1552

दिनांक : ०१.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 07 दिनांक 07.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।

1.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार